

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

सेवा पर्व परखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर

ग्राम पंचायत- कोपडा

प्रकरण संख्या:- 276/25

दिनांक:- 3-10-2025

उपनाम

श्री मुरारी लाल पुत्र
वजरांगा जाति मीना

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की हल्का कोपडा भू. अ. नि. शिवराजगढ़ एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम कोपडा पं० उ० कोपडा की वर्तमान रथायी जमाबंदी के खाता संख्या 273, 274, 276 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1.	नाम	मुरारी पुत्र वजरांगा जाति मीना	मुरारी लाल पुत्र वजरांगा जाति मीना

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

गतिलिपी :-

- तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
- प्रार्थी श्री मुरारी लाल पुत्र वजरांगा मीना।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

